

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-10112025-267525
SG-DL-E-10112025-267525असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 343]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 6, 2025/कार्तिक 15, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 321
No. 343]	DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 6, 2025/KARTIKA 15, 1947	[N. C. T. D. No. 321

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIगृह (गृह रक्षक) विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 4 नवम्बर, 2025

फा0 सं0 1/03/2022/गृ0रक्ष0/3367-85—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाविस्तारित बом्बे गृह रक्षक अधिनियम, 1947 की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद् द्वारा दिल्ली गृह रक्षक नियमावली, 1959 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :- (1) इन नियमों को दिल्ली गृह रक्षक (संशोधन) नियमावली, 2025 कहा जाए।
(2) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।
- नियम 8 में संशोधन :- दिल्ली गृह रक्षक नियमावली, 1959 के नियम 8 में सतरहवें परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक को सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् :-

“यह भी उपबंधित है कि 31 अक्टूबर, 2025 को सेवारत विद्यमान गृह रक्षक स्वयंसेवकों (तथा जो 31 अक्टूबर, 2025 से 30 अप्रैल, 2026 की अवधि के दौरान कार्यमुक्त किए जाने हैं) का कार्यकाल 30 अप्रैल, 2026 अथवा नए नामांकन होने तक या आवश्यकता समाप्त होने तक, जो भी इनमें से पहले हो, तक विस्तारित किया जाएगा, बशर्ते उनका सेवा रिकॉर्ड संतोषजनक हो, कार्यकाल के दौरान गृह रक्षक के रूप में सामान्य आचरण और साथ ही नियमों में यथानिर्धारित शारीरिक स्वास्थ्य तथा आयु-सीमा भी हो।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
राखी सिंघल, उप-सचिव, गृह

HOME (HOME GUARD) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 4th November, 2025

F.No. 1/03/2022/HG/3367-85.—In exercise of the powers conferred by section 8 of the Bombay Home Guards Act, 1947, as extended to National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following rules to further amend the Delhi Home Guards Rules, 1959, namely:-

1. Short title and commencement—(1) These rules may be called the Delhi Home Guards (Amendment), Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Amendment of rule 8.—In the Delhi Home Guards Rules, 1959, in Rule 8, after the Seventeenth proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided also that the tenure of existing Home Guard Volunteers on roll as on 31st October, 2025 (and due for discharge between the period 31st October, 2025 to 30th April 2026) may be extended up to 30th April 2026 or till such time fresh enrolment takes place or till such time the necessity ceases, whichever is earlier subject to satisfactory service records, general conduct as Home Guards during the tenure and also subject to physical fitness and age limit as prescribed in the Rules”.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of
National Capital Territory of Delhi
RAKHI SINGHAL, Dy. Secy., Home